भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूज़लैटर

जुलाई **2020**

डॉ. आर. एस. शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने 25.06.2020 को ''ट्राई चैनल सलेक्टर एप'' लांच किया

1. विनियम / आदेश

1.1 दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश 2020ः

भादूविप्रा ने 03.06.2020 को दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश जारी कियाः

इस संशोधन के अधिनियमन के साथ, दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 और उसके तहत प्रविष्टियों का विलोपन हो जाएगा। दूरसंचार आदेश, 1999 की अनुसूची 13 के तहत, दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा 100 एसएमएस प्रति सिम प्रतिदिन की सीमा से अधिक प्रत्येक एसएमएस के लिए न्यूनतम 50 प्रति एसएमएस शुल्क लेने का प्रावधान किया गया था। । अनुसूची 13 का विलोपन टैरिफ विनियम को समाप्त करने और टैरिफ प्रविरत की व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भादूविप्रा द्वारा उठाया गया एक और कदम है।

यह संशोधन एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों की टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक ड्रॉफ्ट संशोधन भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था। हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद और कोविड–19 की महामारी के दृष्टिगत, भादूविप्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पहला खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया। ऑनलाइन ओएचडी के जरिये हितधारकों को परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने का एक नया अवसर मुहैया कारया गया ।

4. अनुसूची 13 को दूरसंचार टैरिफ आदेश में वर्ष 2012 मे शामिल किया गया था और यह तत्कालीन दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2010 (टीसीसीसीपीआर 2010) के प्रावधानों के लिए पूरक सुरक्षापाय के रूप में था ताकि अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की समस्या का समाधान किया जा सकें। 2018 में, भादूविप्रा टीसीसीसीपीआर 2010 को 19 जुलाई 2018 के दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) (टीसीसीसीपीआर 2018) से प्रतिस्थापित किया गया। टीसीसीसीपीआर 2018 के तहत निर्धारित नया विनियामक फ्रेमवर्क प्रौद्योगिक आधारित है और ब्लॉक चेन प्रोद्योगिकी पर आधारित प्रौद्योगिकीय समाधान मुहैया कराता है। यूसीसी की समस्या से निबटने में टीसीसीसीपीआर 2018 की व्यापकता को देखते हुए यह महसूस किया गया कि एसएमएस के वास्तविक गैर–वाणिज्यिक बल्क उपयोगकर्ताओं के हित को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने की संभावना वाले विनियम की अब कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे हटाया जा सकता है। संशोधित टैरिफ आदेश को नीचे लिंक/क्यूआर कोड के माध्यम से देखा जा सकता हैः

https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_03062020.pdf

2. सिफारिशें

Newsletter

2.1 ''पब्लिक वाई–फाई नेटवर्क के जरिये ब्रॉडबैंड का प्रसार'' पर भादूविप्रा की 9 मार्च, 2017 की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए दूरसंचार विभाग के 29 मई, 2020 के पत्र के लिए भादूविप्रा का उत्तर।

प्राधिकरण ने ''पब्लिक वाई–फाई नेटवर्क के जरिये ब्रॉडबैंक का प्रसार'' पर 9 मार्च, 2017 को सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इन सिफारिशों में पब्लिक वाई–फाई नेटवर्क के जरिये ब्रॉडबैंड सेवाओं की डिलिवरी के लिए एक 'अबंडलित और वितरित मॉडल' की अनुशंसा की गई थी।

भादूविप्रा द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने के तीन वर्ष बाद, दूरसंचार विभाग से 29 मई 2020 को एक पत्र प्राप्त हुआ। दूरसंचार विभाग का यह पत्र वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (डब्ल्यूएएनआई) संरचना की अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों को लाइसेंसिंग एवं विनियामक शर्तों के दायरे में लाने पर केन्द्रित था, जैसा कि अन्य एकीकृत इकाइयों/लाइसेंसधारकों के लिए प्रावधान है।

प्राधिकरण ने इस पत्र के जवाब में अपने उत्तर को अंतिम रूप दिया और 5 जून 2020 को दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किया। प्राधिकरण ने अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ उल्लेख किया कि कई होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट और मॉल्स बिना किसी लाइसेंस/पंजीकरण के वाई–फाई सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। भारत में ऐसे कई स्थान मौजूदा निर्देशों के अनुसार ओटीपी द्वारा सत्यापन का उल्लंघन करके मैक आईडी आधारित सत्यापन का अनुसरण कर रहे हैं और फिर भी स्पूफिंग या सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दा प्राधिकरण के ध्यान में नहीं आया है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_05062020.pdf

3. निदेश

(क) भादूविप्रा ने 19 जून 2020 को टीसीसीसीपीआर विनियम, 2018 के तहत सभी पहुंच प्रदाताओं के लिए निदेश जारी किया

इसके तहत भादूविप्रा ने पहुंच प्रदाताओं को निम्नलिखित निदेश दिए हैं:

Newsletter

i. सुनिश्चित करना कि प्रमुख इकाई को नए हेडर्स के पंजीकरण और सौंपने हेतु नए आवेदन पर कोई कार्यवाही लंबित न हों।

ii. अपनी वेबसाइट पर पंजीकृत प्रमुख इकाइयों एवं एसोसिएट हेडर्स के बारे में सूचना प्रकाशित करना और 1909 नंबर से एसएमएस द्वारा इसे प्राप्त करने को सुगम बनाना।

iii. सुनिश्चित करना कि इसके द्वारा किसी इकाई को कोई ऐसी भूमिका न दी जाए जो विनियमों के प्रावधानों के अनुसार न हों।

iv. पंजीकरण कराने के लिए प्रमुख इकाइयों के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाना।

नीचे दिए लिंक/क्यूआर कोड के माध्यम से निदेश देखे जा सकते हैं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_19062020.pdf

Newsletter

4. खुला मंच चर्चा

4.1 ''टैरिफ आदेश ऑफर्स के प्रकाशन में पारदर्शिता'' संबंधी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी)

भादूविप्रा ने 17 जून, 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ''टैरिफ आदेश ऑफर्स के प्रकाशन में पारदर्शिता'' संबंधी परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

4.2 ''नेट निरपेक्षता के लिए टैरिफ प्रबंधन पद्धतियां (टीएमपी) और बहु–हितधारक निकाय'' संबंधी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी)

भादूविप्रा ने 24 जून, 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ''नेट निरपेक्षता के लिए टैरिफ प्रबंधन पद्धतियां (टीएमपी) और बहु–हितधारक निकाय'' संबंधी परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।

4.3 सशर्त पहुंच प्रणाली (सीएएस) और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क संबंधी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी)

भादूविप्रा ने 25 जून, 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए सशर्त पहुंच प्रणाली (सीएएस) और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क संबंधी परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।

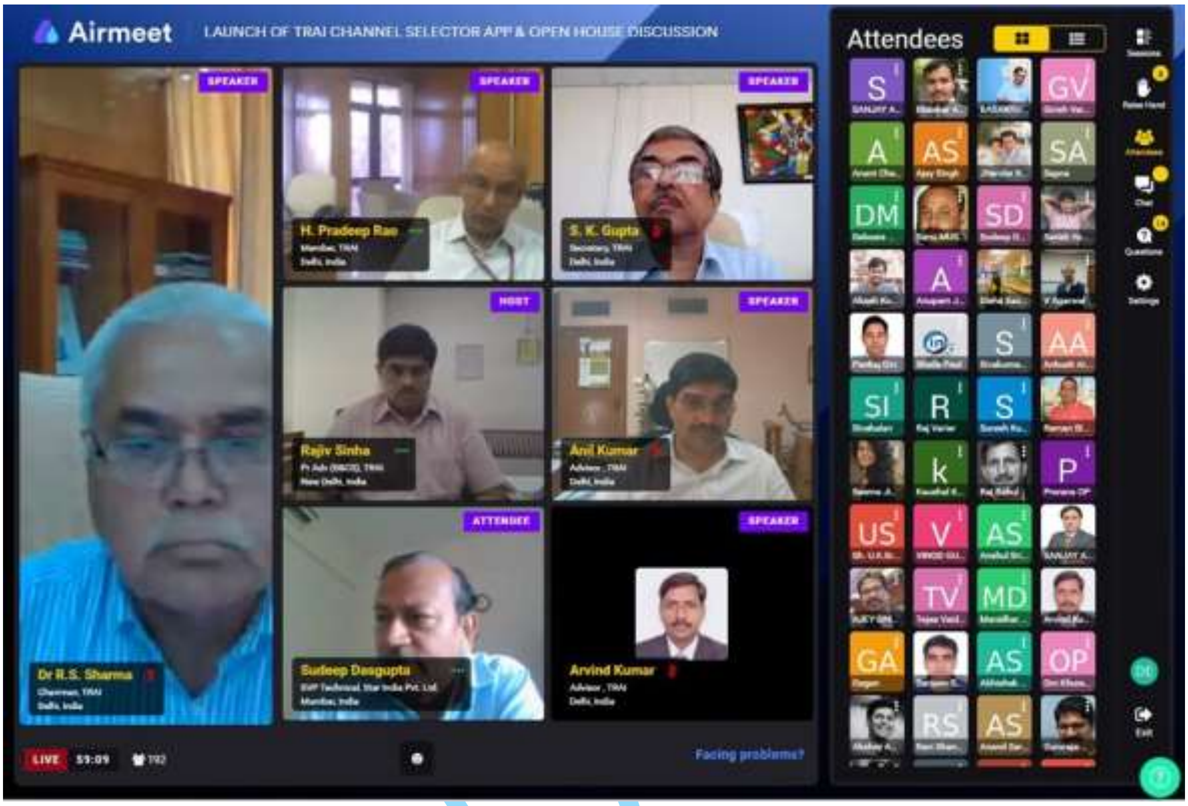

5. अन्य सूचना

5.1 भादूविप्रा ने 25 जून, 2020 को चैनल सलेक्टर एप लांच किया जो उपभोक्ताओं को अपना टीवी सब्सक्रिप्शन देखने और इसमें बदलाव करने में समर्थ बनाएगा।

भादूविप्रा ने टेलीविजन उपभोक्ताओं को भरोसेमंद, दमदार और पारदर्शी प्रणाली मुहैया कराने के लिए एक टीवी चैनल सलेक्टर एप विकसित किया है। एप एपीआई के जरिये संबंधित डीपीओ के प्लेटफॉम से डाटा प्राप्त करता है। उपभोक्ता का सत्यापन उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर किया जाता है। अगर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर डीपीओ के पास पंजीकृत नहीं है तो उपभोक्ता अपनी टीवी स्क्रीन पर ओटीपी प्राप्त करेगा। एप उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं देता है:

1. अपना सब्सक्रिप्शन देखना
2. अपने डीटीएच/केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी चैनलों एवं बुके को देखना
3. अपने पंसद के चैनल चुनना और अनचाहे चैनलों को हटाना

4. पूरा समाधाना पाना; उसी मूल्य या कम मूल्य पर उपयोगकर्ता द्वारा चुने चैनलों/बुके का सर्वश्रेष्ठ संयोजन प्राप्त करना
5. लागू एनसीएफ (नेटवर्क क्षमता शुल्क) में चैनल शामिल करने की सुविधा
6. वर्तमान सब्सक्रिप्शन में बदलाव करने की सुविधा
7. अपने सब्सक्रिप्शन अनुरोध की स्थिति की त्वरित जांच

चैनल सलेक्टर एप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। डीटीएच/केबल ऑपरेटर के ग्राहक इस एप से अपना सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में बदलाव (चैनल शामिल करना/हटाना), नया सब्सक्रिप्शन तय करना और अपने सब्सक्रिप्शन को इष्टतम कर सकते हैं और इस प्रकार अपने पैसे का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। एप को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए यूजर एप मेन्यू में उपलब्ध ''फीडबैक' पर क्लिक करके फीडबैक दे सकते हैं।

5.2 भादूविप्रा ने 29 जून 2020 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों की एक अद्यतन सूची जारी की है।

6. कार्यक्रम

6.1 जून, 2020 के दौरान, निम्नलिखित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्र. सं.	स्थान	तिथि
1	छत्तीसगढ़	19.06.2020
2	जयपुर (राजस्थान)	26.06.2020
3	आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	26.06.2020

Newsletter

4	आन्ध्र प्रदेश	29.06.2020

फोटो गैलरी

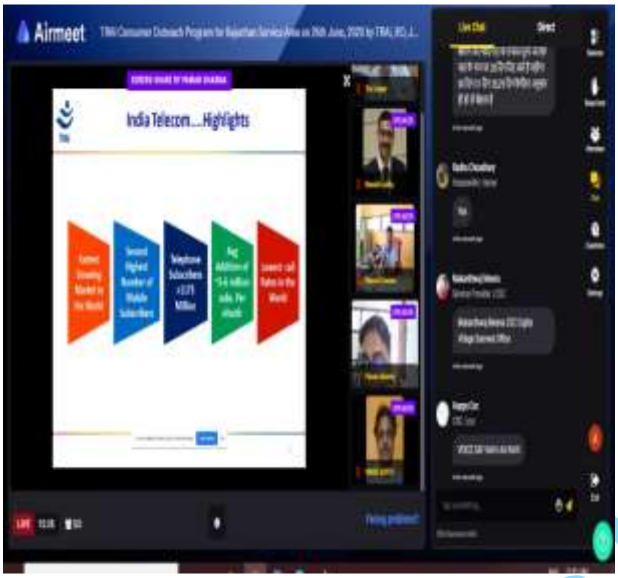

26.06.2020 को जयपुर (राजस्थान) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

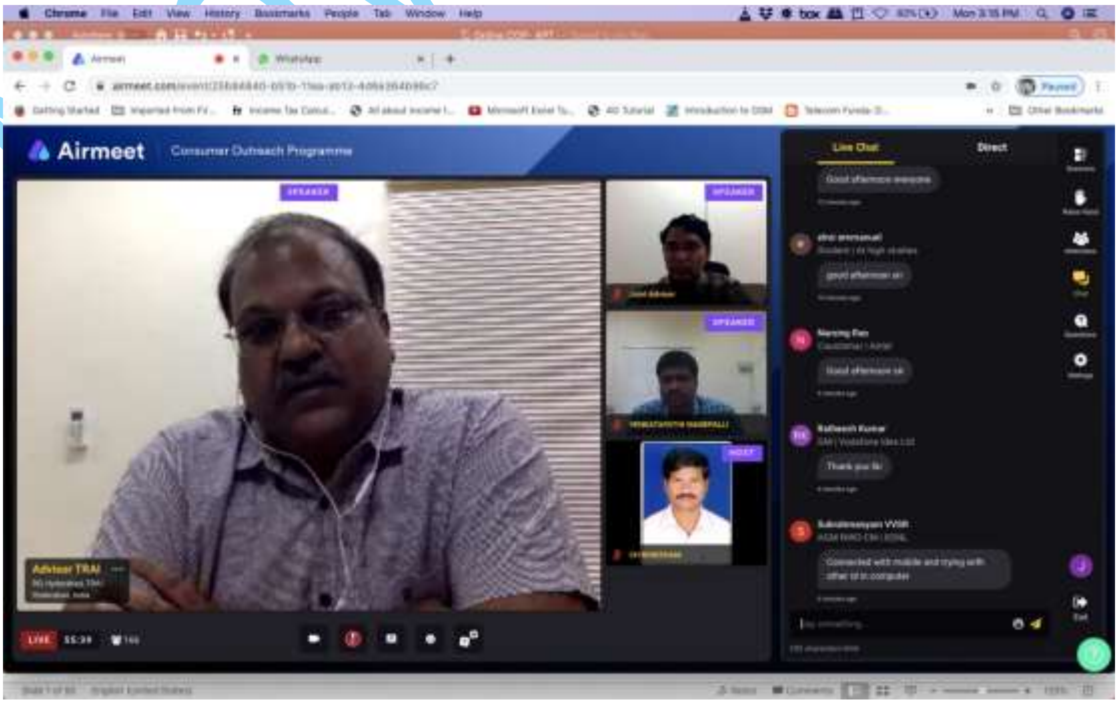

29.06.2020 को आन्ध्र प्रदेश में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट **www.trai.gov.in** *पर भी उपलब्ध है।*

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड़) नई दिल्ली–110002

हम फेसबुक पर भी हैं! आइये हमारे साथ!

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ! ***TRAI@TRAI***

Newsletter